तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज उनवानः– प्रेम जैन बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं (अति0जिला कलक्टर धौ0) प्रथम अपील, (मु0संख्या 30/2022) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2022/52)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
09-9-2022	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा वांछित सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पेश की है। लोक सूचना अधिकारी को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर ने अपने पत्र कमांकःआरटीआई./2022/433 दिनांक 24.8.2022 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रेषित कर निम्न बिन्दु संख्या–1 की सूचना चाही गई थी :– बिन्दु संख्या–1, 01 जनवरी 2020 से 31 मई 2022 तक जिला कलक्टर के हस्ताक्षरों से जारी किए नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्रों की अनुज्ञापत्र हांसिल करने वालों के नाम एवं पूर्ण पते की सत्यापित सूची उपलब्ध कराऐं। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी आर्म्स एवं न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर को अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रभारी अधिकारी आर्म्स एवं न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर ने अपने पत्र कमांक न्याय/आरटीआई/2022/2580–81 दिनांक 07.09.2022 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अवगत कराया है कि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या–3 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। सूचना तृतीय पक्ष से संबधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1)से(4) के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की सूचना बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती। सूचना का अधिकार अधिनियम 8(1)(छ) में यह स्पष्ट किया है कि सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारिरिक सुरक्षा का खतरे में	

डालेगा या जो विधि प्रवलीन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा ऐसी सूचना दिये जाने के लिए बाध्यता नहीं होगी तथा धारा 8(3)(जे) के अन्तर्गत सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से सबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिकमण होगा,जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना से किसी व्यक्ति की सुरक्षा एवं गोपनीयता भंग हो सकती है अतः सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलक्टर धौलपुर एवं प्रभारी अधिकारी आर्म्स एवं न्याय अनुभाग कलेक्ट्रेट धौलपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों से सम्बधित है, जो आवेदकों को उनकी सुरक्षा के मध्य नजर जारी किये जाते है। सूचना का अधिकार अधिनियम 8(1)(छ) में यह स्पष्ट किया है कि सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारिरिक सुरक्षा का खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा। ऐसी सूचना दिये जाने के लिए बाध्यता नहीं है। सूचना तृतीय पक्ष से संबधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 11(1)से(4) के अन्तर्गत तृतीय पक्ष की सूचना बिना उसकी अनुमति के नहीं दी जा सकती। इस प्रकार अपीलान्ट को उक्त सूचना दिया जाना नियमान्तर्गत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज की जाती है। प्रकरण में आगे कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। निर्णय की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे।

(अनिल कुमार अग्रवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर